

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 04/2020-21

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी																								
16/7/21	आवेदक अयोध्या मुण्डा पिता स्व० लोदरो मुण्डा, ग्राम नाथपुर डहुडांड जाति मुण्डा, थाना - पालकोट, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नाथपुर</td><td>62</td><td>562</td><td>5740</td><td>0.02</td><td>दोन</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5741</td><td>0.10</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5742</td><td>0.04</td><td></td></tr> </tbody> </table> कुल रकबा 0.16(सोलह डिसमील) चौहद्दी :- उत्तर - पक्की सड़क दक्षिण - नीज विक्रेता, पुरब-नीज विक्रेता पश्चिम - 20 कड़ी का नीज विक्रेता द्वारा छोड़ा गया रास्ता। जमीन विक्रेता का विवरणी अयोध्या मुण्डा पिता स्व० लोदरो मुण्डा, ग्राम नाथपुर डहुडांड जाति मुण्डा, थाना - पालकोट, जिला- गुमला जमीन क्रेता का विवरणी अलकसियुस मिंज पिता स्व० इलियाजर मिंज, ग्राम पालकोट डबनापानी थाना - पालकोट, जिला- गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता अलकसियुस मिंज पिता स्व० इलियाजर मिंज, ग्राम पालकोट डबनापानी थाना - पालकोट, जिला- गुमला को राशि रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है। रुपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	नाथपुर	62	562	5740	0.02	दोन				5741	0.10					5742	0.04		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म																					
नाथपुर	62	562	5740	0.02	दोन																					
			5741	0.10																						
			5742	0.04																						



अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 570(ii)/रा0 दिनांक 08/01/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुषंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक अयोध्या मुण्डा पिता स्व0 लोदरो मुण्डा, ग्राम नाथपुर डहुडांड जाति मुण्डा, थाना - पालकोट, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप -समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)





भूमि सुधार उप -समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)